झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या....01........ वर्ष 2023...

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता आलोक रविदास
ग्रा० असनाटांड़, पं०-सरई,
थाना-पेंक, बोकारो ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, बोकारो ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
10-01-2023	श्री कालेश्वर रविदास राशन कार्ड सं0–202001935420, ग्राम–असनाटांड, पं0–सरई, पो0–पलामू, थाना–पेंक, नावाडीह जिला–बोकारो का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी द्वारा शिकायत किया गया है कि पूर्व में दिनांक–29.09.2022 को उनके द्वारा आयोग के समक्ष माह जुलाई और अगस्त, 2022 का राशन नहीं दिये जाने संबंधी शिकायत दर्ज करने के उपरान्त उन्हें इन दोनों माह का राशन उपलब्ध करा दिया गया किन्तु माह सितम्बर का राशन नहीं दिया गया। साथ ही PDS दुकान को निलंबित भी कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस कार्रवाई से नाराज होकर PDS दुकानदारों द्वारा शिकायतकर्ता एवं उनके भाई अनील कुमार रविदास का राशन कार्ड सं0–202001935420 एवं 20221935421 रद्द करा दिया गया है। यह भी कि इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा किये गये लिखित शिकायत को स्थानिय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के दबाव में वापस लिया गया है। प्राप्त अपील आवेदन के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को प्रतिवादी बनाते हुए उक्त मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–16.01.2023 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–16.01.2023 अपराह्न 12:00 बजे रखें। Sd/- (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju आदेश...81	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16.01.2023	**वाद संख्या–01 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता ने आयोग को जानकारी दी कि आयोग में शिकायत दर्ज करने के बाद उनका एवं उनके भाई के राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। आयोग की सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो का कहना है कि ERCMS के माध्यम से राशन कार्ड रद्द हुआ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, का कहना है कि उपरोक्त का राशन कार्ड तभी रद्द होता है, जब शिकायतकर्ता ने स्वयं रद्द करने हेतु आवेदन दिया हो। इस मामले में शिकायतकर्ता ही राशन कार्ड के रद्द होने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि फर्जी तरीके से किसी ने शिकायतकर्ता के आधार नंबर को प्राप्त किया, तत्पश्चात् शिकायतकर्ता का राशन कार्ड रद्द कर दिया। इस गंभीर विषय पर आयोग उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारों के लिये हर संभव कदम उठाने को तैयार है। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता को आदेश देता है कि सम्बन्धित थाने में वे राशन कार्ड रद्द करने सम्बन्धी शिकायत दर्ज कराएँ। आयोग पुलिस अधीक्षक, बोकारो को निर्देश देता है कि वे इस मामले की जाँच स्वयं अपनी निगरानी में कराकर प्रतिवेदन आयोग को 01 माह में भेजें कि शिकायतकर्ता के राशन कार्ड को किसने रद्द कराया। शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग में कम राशन देने या राशन नहीं देने की शिकायत प्राप्त होती रहती है लेकिन यह मामला अत्यन्त ही गंभीर है, क्योंकि शिकायत करने पर राशन कार्ड रद्द करवा देना, यह अत्यन्त ही गंभीर विषय है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि सम्बन्धित राशन डीलर लोगों से राशन लेने से पहले ही अंगूठा लगवा लेता है। ऐसे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को आयोग निर्देश देता है कि इस मामले में अपने जिले के सभी प्रखण्डों में विशेष जागरूकता अभियान चला कर इस आशय की जानकारी लाभुकों को दें कि किसी भी हाल में राशन लेने से पहले अंगूठा न लगाएँ। मामले के सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–20.02.2023 निर्धारित की जाती है। निर्धारित की गई तिथि की जानकारी सभी पक्षों को उपलब्ध करा दी जाए। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, बोकारो को अनुपालनार्थ भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx42	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–01 / 2023	
20.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता ने सम्बन्धित थाना में FIR दर्ज करा देने की बात बताई है। आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि दर्ज कराये गये FIR की प्रति आयोग को भेजें ताकि आयोग पुलिस अधीक्षक, बोकारो को FIR की प्रति भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन जल्द से जल्द से उपलब्ध कराने का निदेश दे सके। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–22.03.2023 निर्धारित की जाती है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx48	